

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर।

जिला पदाधिकारी, सुपौल।

जिला पदाधिकारी, बक्सर।

पटना-15, दिनांक- 27/4/2012

विषय : समस्तीपुर, सुपौल एवं बक्सर जिला में "सेवा यात्रा" का कार्यक्रम के सम्बन्ध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि माननीय मुख्य मंत्री की समस्तीपुर, सुपौल एवं बक्सर जिला में "सेवा यात्रा" का कार्यक्रम निम्नवत् है :-


क्र० सं०	जिला का नाम	तिथि	जनता के दरबार में मुख्य मंत्री	समीक्षात्मक बैठक
1.	समस्तीपुर	2-4 मई, 2012	03.05.2012 (09:00 बजे पूर्वाह्न)	04.05.2012 (09:00 बजे पूर्वाह्न)
2.	सुपौल	09-11 मई, 2012	10.05.2012 (09:00 बजे पूर्वाह्न)	11.05.2012 (09:00 बजे पूर्वाह्न)
3.	बक्सर	23-25 मई, 2012	24.05.2012 (09:00 बजे पूर्वाह्न)	25.05.2012 (09:00 बजे पूर्वाह्न)

2. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 को ध्यान में रखते हुए दिनांक-16.04.2012 को अधिसूचना निर्गत होने के साथ सभी नगरपालिका क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उक्त आलोक में पूर्व के "सेवा यात्रा" के प्रसंग में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्र संख्या-न० नि० 50-33/2012-1598, दिनांक-05.04.2012 एवं पत्र संख्या-न० नि० 50-33/2012-1682, दिनांक-10.04.2012 से प्राप्त अनापत्ति पत्र सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उपर्युक्त प्रस्तावित नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 के प्रसंग में "सेवा यात्रा" के दौरान इन शर्तों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।


विश्वासभाजन

 (विजय कुमार वर्मा)
 सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-151/2011 297 /दिनांक- 27/4/2012
प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी (समस्तीपुर, सुपौल एवं बक्सर को छोड़कर) को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(विजय कुमार वर्मा)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-151/2011 297 /दिनांक- 27/4/2012
प्रतिलिपि-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस
उपमहानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(विजय कुमार वर्मा)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-151/2011 297 /दिनांक- 27/4/2012
प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।


(विजय कुमार वर्मा)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-151/2011 297 /दिनांक- 27/4/2012
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/आरक्षी महानिदेशक,
बिहार, पटना/डॉ0 एस0 सिद्धार्थ, मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के
गै0 स0 प्रे0 सं0-297 (Secy.S.), दिनांक-26.04.2012 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।


(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी0 एस0/एम0-151/2011 297 /दिनांक- 27/4/2012
प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर श्री अजय कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार से
अनुरोध है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के Website पर इस सूचना को
Information group में Upload कर दें।


(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव



216

पत्र संख्या- न0नि0 50-33/2012- 1682

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

श्री विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 10 अप्रैल, 2012

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री के "सेवा यात्रा" के कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग - आपका पत्रांक 246 दिनांक 10.04.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार की प्रस्तावित सेवा यात्रा के संशोधित कार्यक्रम दिनांक 20-23 अप्रैल 2012 को पूर्वी चम्पारण एवं 27-29 अप्रैल 2012 को कैमूर जिला मुख्यालय में आयोजित किये जाने पर आयोग के पत्रांक 1598 दिनांक 05.04.2012 में वर्णित शर्तों के साथ अनापत्ति संसूचित की जाती है।

2. इस संबंध में आयोग के पत्रांक 1598 दिनांक 05.04.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव। 10.4.2012

2-42/03
10/4/2012
11/4



पत्र संख्या- न0नि0 50-33/2012- 1598

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

श्री विजय कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 5 अप्रैल, 2012

विषय:- नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री के "सेवा यात्रा" के कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 243 दिनांक 04.04.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2012 की अधिसूचना दिनांक 16.04.2012 को प्रस्तावित है। अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही आयोग की अधिसूचना संख्या 1310 दिनांक 28.03.2012 में वर्णित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी।

2. यह आचार संहिता उन नगरपालिका क्षेत्रों में ही प्रभावी होगी, जहां पर नगरपालिका निर्वाचन दिनांक 16.05.2012 को प्रस्तावित है। पूर्वी चम्पारण में नगर परिषद मोतिहारी, नगर परिषद रक्सौल, नगर पंचायत चकिया, ढाका, अरेराज एवं सुगौली में तथा कैमूर जिला में नगर परिषद भमुआ एवं नगर पंचायत मोहनिया में नगरपालिका निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। अतः दिनांक 16.04.2012 को अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही इन नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी।

3. माननीय मुख्यमंत्री बिहार की प्रस्तावित सेवा यात्रा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कहना है कि 19-22 अप्रैल 2012 को पूर्वी चम्पारण एवं 26-28 अप्रैल 2012 को कैमूर जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री के आवासन एवं "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम" तथा सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक के आयोजन में आयोग को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि इन कार्यक्रमों में नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित किसी प्रत्याशी के पक्ष एवं विपक्ष में कोई चर्चा नहीं हो एवं जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, मुख्यमंत्री के साथ मंच पर या आवासन स्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं हो। उक्त समारोहों में उद्बोधन विशुद्ध रूप से समारोह की विषयवस्तु पर ही केन्द्रित रहेगा एवं कोई राजनीतिक भाषण नहीं किये जायेंगे तथा नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित प्रत्याशियों के पक्ष-विपक्ष में कोई वक्तव्य या अन्य कार्य नहीं किये जायेंगे।

विश्वासभाजन,

4.4.2012
सचिव।